राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 790/2002

फुल चन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. भू–प्रबंधक आयुक्त, जयपुर, राजस्थान

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.05.2004
आदेश की दिनांक : 23.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.12.1979 द्वारा अमीन के पद पर नियुक्ति दी गई, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी दिनांक 07.01.1980 को भू–प्रबंधन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया और इसके पश्चात नवंबर, 1982 में अलवर में स्थानांतरित कर दिया गया। अलवर में कार्य करते समय, अपीलार्थी को वर्ष 1985 में राजस्थान भूमापक संघ, अलवर का अध्यक्ष चुना गया था। भू मापक संघ के पदाधिकारी होने के नाते, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना और निगरानी करना अपीलार्थी का नैतिक कर्तव्य था। सदस्यों की शिकायतों के संबंध में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखना पड़ा और समय–समय पर आवाज उठाने के अलावा बार–बार उन्हें आंदोलन भी करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के वरिष्ठ उससे नाराज हो गए और उसके साथ पक्षपात करने एवं दुर्भावना रखने लगे। तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी श्री आर.सी. जेफ और तत्कालीन सेटलमेंट कमिश्नर श्री गणपत लाल यादव ने पक्षपातपूर्वक अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक चले गए, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद, अपीलार्थी को कई प्रकरणों में आरोप पत्र दिए गए थे और उनमें अनुचित दंड दिया गया। अपील के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आरोप पत्र एवं दण्डादेशों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) सी.सी.ए. नियम 17 के तहत एक आरोप पत्र दिनांक 26.06.1985 को जारी कर दिनांक 12.06.1986 के आदेश के तहत संचयी प्रभाव से एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई। इसमें आरोप यह है कि अपीलार्थी ने शराब का सेवन कर विभागीय ड्राईवर के घर जाकर उसे धमकाया एवं अभद्र व्यवहार किया, जो

क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है क्योंकि 17 सीसीए के तहत मेजर पेनेल्टी नहीं दी जा सकती। इसमें दायर अपील आयुक्त भू–प्रबंध द्वारा खारिज कर दी गई।

(ii) सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत दिनांक 25.02.1986 के तहत आरोप पत्र दिया गया। इसमें आरोप यह है कि कार्यालय समय से भूमापक संघ के रूप में बैठक की तथा अधिकारियों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के विरूद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, जिसमें आदेश दिनांक 29.12.1986 द्वारा संचयी प्रभाव से 3 वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई। जो माननीय उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में कृष्ण दत्त बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण के विपरीत है।

(iii) अपीलार्थी को एक आरोप–पत्र दिनांक 25.02.1996 को सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत दिया गया। इसमें आरोप यह था कि अपीलार्थी ने अपनी पहल वैध पत्नी जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया। जिसमें भू–प्रबंध आयुक्त ने आदेश दिनांक 06.01.1990 द्वारा अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा सीसीए नियमों के नियम 23 के तहत अपील दायर की, जिसे राजस्व सचिव विभाग ने दिनांक 21.09.1990 के आदेश के तहत स्वीकार कर अपीलार्थी को पुनः बहाल करने का निर्देश दिया गया।

(iv) अपीलार्थी को सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र देकर दिनांक 19. 01.1987 के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ 5 वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि को रोकने की अनुचित सजा दिनांक 20.07.1999 के आदेश द्वारा दी गई थी। इसमें यह आरोप है कि अपीलार्थी ने भूमापक संघ के अध्यक्ष के रूप में भू–प्रबंध अधिकारी एवं स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया एवं असंसदीय भाषा एवं गन्दे शब्दों का प्रयोग किया, जिसके विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा एक अपील दायर की गई थी जो अभी भी लंबित है।

(v) अपीलार्थी को 16 सीसीए में आरोप पत्र जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाये कि अपीलार्थी ने गलत म्यूटेशन दर्ज कर सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के बजाए भू–प्रबंध अधिकारी से प्रमाणित करा लिए। साथ ही अपीलार्थी बिना पूर्व अनुमति से ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। इसमें दिनांक 15.07.1999 के आदेश के तहत जारी दण्डादेश में उसकी पिछली सेवाओं को इस निर्देश के साथ जब्त कर लिया गया कि उसे न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और केवल एक वर्ष पूरा होने के बाद वार्षिक ग्रेड वृद्धि की अनुमति दी जाएगी और दिनांक 15.07.1999 (अनुलग्नक–1) से अवधि की गणना करते हुए 9, 18 और 27 साल की सेवा पूरी करने पर चयन ग्रेड प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी की पिछली सेवाएं जब्त कर ली गई हैं। इसके विरूद्ध सीसीए नियम 23 के तहत दायर अपील लम्बित है।

(vi) चार्ज मेमो दिनांक 23.09.1991 के माध्यम से अपीलार्थी को सी.सी. के नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिया गया था। जिसके तहत आरोप लगाया गया था कि जब अपीलार्थी ग्राम डोरोली तहसील, राजगढ़ में अमीन के पद के रूप में काम कर रहा था, तो उसने अन्य सर्कल के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा म्यूटेशनस सत्यापन करया। यह आरोप पत्र लम्बित है एवं कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(vii) सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत चार्ज मेमो दिनांक 05.07.1993 के तहत यह आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दिया गया कि जो म्यूटेशन बुक उन्हें जारी की गई थी लेकिन जब इसे वापस किया गया तो पेज नं. 16 गायब था और दिनांक 13.09.1995 के आदेश के तहत संचयी प्रभाव से 2 वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई। अपीलार्थी द्वारा नियम 23 सीसीए के तहत अपील दायर करने पर राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 11.11.1998 द्वारा प्रकरण पुनः जांच हेतु भू–प्रबंध आयुक्त को प्रतिप्रेषित किया गया।

(viii) तत्कालीन भू–प्रबंध आयुक्त श्री गणपत राम यादव का पक्षपात इस तथ्य से और भी स्पष्ट है कि बिना किसी औचित्य के, अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, अलवर द्वारा आपराधिक मामले संख्या 23/348/86 राज्य बनाम. फूल चंद के आधार पर नोटिस जारी किया कि अपीलार्थी को पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत अपराध करने का दोषी पाया, इस प्रकार 50/– रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि वह कोई फूलचंद मीना पुत्र श्री भोंरी लाल मीना था, जिन्होंने अपराध किया था, इसलिए सजा दी गई। अपीलार्थी ने कोई अपराध नहीं किया एवं कभी दोषी नहीं पाया गया।

उपर्युक्त सभी विभागीय कार्यवाहियां एवं दण्डादेश दुर्भावनापूर्ण, भेदभाव एवं कुछ अधिकारियों की पूर्व धारणाओं के कारण की गई। इसमें अपीलार्थी की सत्यनिष्ठा की संदिग्धता एवं कार्य निवर्हन की असक्षमता संबंधी कोई आरोप नहीं है, जिससे कि यह आशय लिया जा सके कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग में अपनी उपयोगिता खो दी हो या वह अनुपयुक्त हो गया हो।

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में प्रख्यापित किया जाकर दिनांक 01.09.1996 से प्रभावी बनाया गया। पेंशन नियमों का नियम 53 जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक है। नियम 53(1) और नीचे दिए गए नोट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 20.07.2001 (अनुलग्नक–2) जारी किया गया है, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने हेतु गाईड लाईन निर्धारित की गई है। भू–प्रबंध आयुक्त द्वारा दिनांक 30.03.2002 को आदेश जारी किया गया है जिसके तहत अपीलार्थी को तीन माह के नोटिस के

बदले रुपये 13773/– की राशि की पेशकश करके तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया गया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है एवं 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। निवेदन है कि दिनांक 30.03.2002 का आदेश पूरी तरह से मनमाना, भेदभावपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है और क्षेत्राधिकार के बिना था (अनुलग्नक–3)। आलौच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए जारी किया क्योंकि अपीलार्थी की जन्म तिथी 17.02.1958 होने से उसकी उम्र 50 वर्ष पूर्ण नहीं हुई एवं आदेश दिनांक 15.07.1999 जिसके द्वारा जारी दण्डादेश से उसकी विगत सेवाओं को जप्त (Forfeited) किया गया है, इस कारण उसकी 15 वर्ष की आवश्यक सेवा भी पूरी नहीं हुई है। अतः आलोच्य आदेश नियम 53 (i) पेंशन नियम के तहत अवैध होने से एंव अपीलार्थी के विरूद्ध सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही मनमानी एवं भेदभावपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 30.03.2002 को अपास्त किया जाये और अपीलार्थी को सेवा में वापस बहाल करने और इस तरह सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिये जावें एवं सेवानिवृत्ति की अवधि तक सेवा में निरन्तर रखने हेतु निर्देशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील पर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू–प्रबंध अधिकारी, बांसवाडा एवं डूंगरपुर की गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उन सभी पात्र उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड को देखा, जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और उनका सेवा रिकॉर्ड असंतोषजनक था। अपीलार्थी के मामले की सिफारिश इस आधार पर की गई कि वह बहुत अनुशासनहीन कर्मचारी है एवं सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। भू–प्रबंध आयुक्त और अतिरिक्त भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान की गठित समीक्षा समिति ने स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों और अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया। नियुक्ति प्राधिकारी ने इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि अपीलार्थी ने विभाग की सेवा करने के लिए अपनी उपयोगिता खो दी है और खुद को अनुपयोगी साबित कर दिया है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आलौच्य आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थी को कार्यालय समय के दौरान आधिकारिक परिसर में अमीनों की बैठक आयोजित करने और अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए एवं क्षेत्र के कार्य की उपेक्षा करने एवं पर्चा लगान जारी करने हेतु अवैध राशि की मांग करने के कारण आदेश दिनांक 29.12.1986 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा 3 वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने के साथ दंडित किया गया था। अपीलार्थी को कार्यालय समय के दौरान आयोजित सार्वजनिक बैठक में अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के समान आरोप पर आदेश दिनांक 20.07.1999 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा 5 वार्षिक ग्रेड

वेतन वृद्धि रोकने के साथ दंडित किया गया था तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.07.1999 (अनुलग्नक–आर/3) द्वारा स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने एवं नामान्तरणों में गंभीर अनियमिताए करने के कारण वेतन को न्यूनतम वेतनमान तक कम करने के दंड से दंडित किया गया था। इससे पहले, अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.06.1986 (अनुलग्नक–आर/4) द्वारा 1 वार्षिक ग्रेड वृद्धि रोकने के साथ दंडित किया गया था, इसमें आरोप है कि वह दो गुंडों के साथ श्री दया राम ड्राइवर के घर गया और उसे धमकाया। सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी के विरूद्ध दो विभागीय जांच नामान्तरकरणों में गंभीर अनियमिताओं के संबंध में लम्बित थी, जिसमें दिनांक 23.09.1997 एवं 13.01. 1993 को आरोप पत्र जारी किए गये। इससे पूर्व अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.01. 1990 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया यद्यपि उसे बाद भी अपीलीय आदेश से बहाल किया गया। वर्ष 1995–96 और 1996–97 के लिए अपीलार्थी के एपीएआरएस में अनुशासन और सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं। वर्ष 1999–2000 के लिए उनका एपीएआर असंतोषजनक आंका गया है। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी की सम्पूर्ण सेवा दागदार होने एवं संदिग्ध सत्यनिष्ठा के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब पर जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनेक दण्डादेशों में अपील दायर करने पर दण्डादेश को संशोधित या अपास्त किया गया है। आरोप पत्र दिनांक 25.02.1986 के संबंध में, अपीलार्थी को पहले आदेश दिनांक 06.01.1990 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, हालांकि सीसीए नियमों के नियम 23 के तहत उसकी अपील को अपीलार्थी को सेवा में वापस बहाल करने के निर्देश के साथ स्वीकार कर लिया गया था। अपीलार्थी पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अलवर की अदालत में उन्हीं आरोपों पर आरोप पत्र दायर किया गया था, उसे दिनांक 23.11.2007 के फैसले के तहत धारा 494 और 498–ए के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था। इस प्रकार, आयुक्त ने आदेश दिनांक 11.08.2011 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को नियम 17 के तहत लगाए गए आरोपों से दिनांक 25.2.1986 के ज्ञापन के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया। दिनांक 20.7. 1999 के आदेश के तहत पांच वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि को मूल रूप से क्षेत्राधिकार के बिना संचयी प्रभाव से रोक दिया गया था। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकारी ने उनके आदेश दिनांक 10.05.2004 (अनुलग्नक–5) द्वारा उनकी सजा को पांच वेतन वृद्धि से घटाकर बिना संचयी प्रभाव के दो वेतन वृद्धि कर दिया और उन्हें निलंबन के तहत रहने की अवधि के लिए सभी परिणामी लाभों का हकदार घोषित कर दिया। अपीलार्थी के खिलाफ दंण्डादेश आदेश दिनांक 15.07.1999 पारित किया गया था, जिसके तहत

उसे न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करने और वेतन वृद्धि देने के निर्देश के साथ उसकी पिछली सेवाओं को जब्त करके अनुचित रूप से दंडित किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2006 के तहत अपील को स्वीकार करते हुए उपरोक्त आदेश को अपास्त कर दिया गया (अनुलग्नक–6)। दिनांक 23.09.1991 के ज्ञापन के माध्यम से सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत जारी आरोप पत्र को आदेश दिनांक 21.06.2002 के द्वारा विभागीय जांच को समाप्त किया गया है (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए 16 के तहत जारी आरोप पत्र दिनांक 05.07.1993 जिसमें आदेश दिनांक 13.09.1995 द्वारा दंडादेश दिया गया। अपील में आयुक्त द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.11.1998 द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर नये सिरे से निर्णय करने हेतु आदेशित किया। अपीलार्थी के वर्ष 1995–96 में एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टिया मनमानी, भेदभावपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्वक की गई है एवं प्रतिकूल प्रविष्टिया अपीलार्थी को सूचित नहीं की गई, वर्ष 1996–97 में एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टिया भी बिना आधार के एवं राजकीय निर्देशों के प्रतिकूल जाकर की गई है (अनुलग्नक–8) स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधिकांश दण्डादेश दायर अपील में अपास्त हो गये है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के अलौच्य आदेश दिनांक 30.03.2002 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत किया गया है। उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से अपलार्थी को स्वैच्छा से ड्यूटी से गैरहाजिर रहने, शराब पीकर सभी कार्मिकों को धमकाने, कार्यालय समय में कार्यालय परिसर में बैठक करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन नहीं करने के कारण अनेकों बार आरोप पत्र जारी कर दण्डादेश दिए गए है। अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 एवं 17 के तहत अनेकों बार आरोप पत्र जारी कर दंडित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार तथा विभागीय जांच कार्यवाही में अनेको बार दण्डित होने से एवं प्रतिकूल एपीएआर से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने विभाग में सेवा करने के लिए अपनी उपयोगिता खो दी है। आलौच्य आदेश विहित प्रक्रिया का पालन कर जारी किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.12.1979 से आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2002 तक 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी। अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि अपील में वर्णित दो अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्वक उसका सेवाभिलेख

खराब दिया क्योंकि अपीलार्थी को लगातार आरोप पत्र जारी होना पाया जाता है, जो अपीलार्थी के अपील एवं प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से स्पष्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैकुंठ नाथ दास एवं अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सिविल अपील संख्या 869 एवं 870/1987 में न्याय निर्णय दिनांक 19.02.1992 में निम्न सिद्धान्त निर्धारित किया हैः–

"Service Law - Compulsory retirement - Uncommunicated adverse remarks can be considered - 'Opinion' of the authority regarding compulsory retirement is his subjective satisfaction which has to be formed on the basis of entire record of service - Order of compulsory retirement does not amount to punishment and hence principles of natural justice not required to be observed in passing an order of compulsory retirement - Judicial review of the order is open only on grounds of mala fides, arbitrariness and perversity - Orissa Service Code, R. 71(a) - Fundamental Rules, FR 56(j) - Constitution of India, Arts. 226, 136, 32 & 14 and 311 - Administrative Law - Natural justice - Audi alteram partem - Exclusion of"

उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी को नियम एवं विधि को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2002 द्वारा राज्य सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन होना परिलक्षित नहीं होता है एवं न ही कोई बदनियती या दुर्भावना परिलक्षित होती है। अतः आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार अपील खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य